न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

आर०एम० वाद संख्या–68/19–20

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b

बरूण कुमार महतो बनाम अभिमन्यु महतो

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता–	बरूण कुमार महतो, पिता–श्री दुर्लभ महतो, ग्राम–नवागाँव, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी (महतो) पेशा–नौकरी।
क्रेता का नाम एवं पता–	अभिमन्यु महतो, पिता–श्री राम पद महतो, ग्राम–गोमदा, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी (महतो) पेशा–खेती।
विद्वान अधिवक्ता का नाम–	मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–27/07/19 को आवेदन देकर छो०का० अधिनियम 1908 की धारा–46(1)b के तहत क्रेता अभिमन्यु महतो, पिता–श्री राम पद महतो, ग्राम–गोमदा, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी (महतो) पेशा–खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू/28	227	2646	04 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू, से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–320(ii) दिनांक–09/07/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि:–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियायनी रैयत का नाम रिदु सिंह वल्द लहरू सिंह कौम राजपुत है।
2. खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध क्रेता विक्रेता का है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम वरूण महतो पिता–दुर्लभ महतो है।
4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015–16 तक वसूली गयी है।
5. खरिदगी डीड के आधार जमाबंदी कायम है।

6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन रैयती किस्म की है।

7. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास 2.00 ए० भूमि शेष रह जाएगा।

8. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।

9. क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के सदस्य है।

10. क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(1)b के तहत विक्रेता बरूण कुमार महतो, पिता–श्री दुर्लभ महतो, ग्राम–नवागाँव, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी (महतो) पेशा–नौकरी, को क्रेता अभिमन्यु महतो, पिता–श्री राम पद महतो, ग्राम–गोमदा, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी (महतो) पेशा–खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–03/08/19 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता बरूण कुमार महतो, पिता–श्री दुर्लभ महतो, ग्राम–नवागाँव, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी (महतो) पेशा–नौकरी, को क्रेता अभिमन्यु महतो, पिता–श्री राम पद महतो, ग्राम–गोमदा, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी (महतो) पेशा–खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्ताकारी अधिनियम 1908 धारा–46(1)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है, कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू/28	227	2646	04 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

01-11-19   01-11-19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू।